



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 139 राँची, बुधवार

14 माघ, 1937 (श०)

3 फरवरी, 2016 (ई०)

विधि (विधान) विभाग ।

अधिसूचना

22 जनवरी 2016

संख्या-एल०जी०-10/2015-03/लेज०-- झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर राज्यपाल दिनांक 20 जनवरी, 2016 को अनुमति दे चुके हैं इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखंड विशेष न्यायालय अध्यादेश, 2015

(झारखंड अध्यादेश, 01,2016)

प्रस्तावना:- अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण के लिए तथा अन्तर्ग्रस्त सम्पत्ति के अधिहरण (जब्ती) के लिए विशेष न्यायालयों के गठन हेतु उपबंध करने के लिए अध्यादेश।

चूँकि, झारखंड राज्य में सार्वजनिक पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-2(ग) के अंतर्गत लोक सेवक भी हैं, में भ्रष्टाचार की व्याप्ति मानी जाती है।

और चूँकि, सरकार को यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि सार्वजनिक पदों को धारण कर चुके या धारण कर रहे व्यक्तियों की बड़ी संख्या जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा-2(ग) के अर्थ अंतर्गत लोक सेवक भी हैं, अकूत सम्पत्ति भ्रष्ट माध्यमों से अर्जित कर ली है जो उनके आय के ज्ञात स्रोतों से असंगत है ;

और चूँकि, ऐसे भ्रष्ट आचरण में संलिप्त व्यक्तियों को अभियोजित करना, उनके द्वारा अवैध ढंग से अर्जित आस्तियों को अधिहृत करना राज्य का दायित्व है।

और चूँकि, विशेष न्यायाधीशों के वर्तमान न्यायालयों से उन अभियोजनों के त्वरित समापन की युक्तियुक्त रूप से आशा नहीं की जा सकती और संसदीय लोकतंत्र तथा भारत का संविधान द्वारा या उसके अधीन सृजित संस्थानों के कुशल कार्य संचालन के लिए यह अनिवार्य है कि उपर्युक्त अपराधियों का विचारण भरसक शीघ्रता से की जाय ;

और चूँकि, उक्त प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि विशेष न्यायालयों की स्थापना ऐसे व्यक्तियों की अध्यक्षता में की जाय जो सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश हों या रहे हों और यह भी समीचीन है कि कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तन किये जाएँ जिससे कि जिन व्यक्तियों का विचारण किया जाना है उनके दोषी होने या निर्दोष होने का अन्तिम अवधारण में, ऋजु विचारण के अधिकार में हस्तक्षेप किये बिना, परिहार्य विलंब को दूर किया जाय;

अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये महामहिम इस संबंध में कानून बनाते हुये तदुसार इस अध्यादेश की घोषणा करते हैं। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस अध्यादेश को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा अन्यथा सत्र शुरू होने के छः सप्ताह बाद यह प्रभावहीन हो जायेगा, या विधान सभा द्वारा इसे प्रभावहीन बनाते हेतु संकल्प लाने पर यह समाप्त हो जायेगा या महामहिम इसे कभी भी वापस ले सकते हैं ।

अध्याय- 1

प्रारंभिक ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ -

- (1) यह अध्यादेश झारखंड विशेष न्यायालय अध्यादेश, 2015 कहा जा सकेगा।
- (2) यह संपूर्ण झारखंड राज्य में लागू होगा।
- (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ - इस अध्यादेश में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ;
- (ख) "प्राधिकृत पदाधिकारी" से अभिप्रेत है झारखंड वरिष्ठ न्यायिक सेवा का ऐसा कोई सेवारत पदाधिकारी जो सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश हो या रहा हो और जिसे धारा-13 के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय;

- (ग) "संहिता" से अभिप्रेत है दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; (1974 का 2)
- (घ) अपराध के संबंध में "घोषणा" से अभिप्रेत है ऐसे अपराध के संबंध में धारा-5 के अधीन की गई घोषणा ;
- (ङ) "अपराध" से अभिप्रेत है आपराधिक अवचार का अपराध, जो अधिनियम (1988 का 49) की धारा-13(1)(ङ) के अधीन स्वतंत्र रूप से या अधिनियम (1988 का 49) के किसी अन्य उपबन्ध या भारतीय दण्ड संहिता के किसी उपबन्ध के साथ संयुक्त रूप से लागू किये जाने योग्य हो ;
- (च) "विशेष न्यायालय" से अभिप्रेत है धारा-3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय ; और
- (छ) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों से क्रमशः वही अभिप्रेत होंगे जो उनके लिए संहिता या अधिनियम में दिये गये हों ।

अध्याय- 2

विशेष न्यायालयों की स्थापना

3. **विशेष न्यायालयों की स्थापना** - (1) अपराध के त्वरित विचारण के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथा यथेष्ट संख्या में न्यायालयों की स्थापना करेगी जिन्हें विशेष न्यायालय कहा जायगा।
- (2) विशेष न्यायालय की अध्यक्षता झारखण्ड उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा की जायगी।
- (3) ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नाम निर्दिष्ट किए जाने के लिए अर्हित नहीं होगा जबतक कि वह झारखंड वरिष्ठ न्यायिक सेवा का सदस्य न हो और जो राज्य में सत्र न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश न हो या न रहा हो ।
4. **विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान** - विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा और उनका विचारण करेगा जो उसके समक्ष संस्थित किया जाए या धारा-10 के अधीन उसे अंतरित किया जाए।
5. **इस अधिनियम के अधीन विचार किये जाने वाले मामलों की घोषणा** -
- (1) यदि राज्य सरकार की राय में प्रथम दृष्टया साक्ष्य हो कि झारखंड राज्य में लोक पद धारण करने वाले या धारण कर चुके किसी व्यक्ति, जो भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 की धारा-2(ग) के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक हो, द्वारा अभिकथित अपराध किया गया हो तो राज्य सरकार ऐसे हरेक मामले में, जिसमें उसकी उपर्युक्त राय हो, उस आशय की घोषणा करेगी।
- (2) ऐसी घोषणा को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायगा।

6. घोषणा का प्रभाव -

- (1) ऐसी घोषणा की जाने पर, संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध की बाबत कोई अभियोजन किसी विशेष न्यायालय में ही संस्थित किया जायगा।
- (2) जहाँ धारा-5 के अधीन की गई घोषणा उस अपराध से सम्बद्ध हो जिसकी बाबत पहले ही अभियोजन संस्थित किया जा चुका हो तथा इससे संबंधित कार्यवाही इस अध्यादेश के अधीन विशेष न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में लंबित हो वहाँ इस अध्यादेश के अनुसार, अपराध के विचारण के लिए ऐसी कार्यवाही, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्यादेश के अधीन विशेष न्यायालय में अन्तरित हो जाएगी।

7. अपराधों के विचारण के संबंध में विशेष न्यायालयों की अधिकारिता - विशेष न्यायालय को उस अपराध के किए जाने के लिए अभिकथित किसी व्यक्ति का विचारण करने की अधिकारिता होगी जिसकी बाबत धारा-5 के अधीन मुख्य आरोपी, दुष्प्रेरक या षड्यंत्रकर्ता के रूप में घोषणा की गई हो तथा उन सभी का उसके साथ संयुक्त रूप से विचारण संहिता के अनुसार एक ही विचारण में किया जा सकता है।

8. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ -

- (1) ऐसे मामलों के विचारण में विशेष न्यायालय मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट वाले मामलों के विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया का पालन करेगा।
- (2) इस अध्यादेश में स्पष्टतः यथा उपबंधित के सिवाय, संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के उपबंध, जहाँ तक वे इस अध्यादेश के उपबंधों के असंगत न हों, विशेष न्यायालय की कार्यवाही पर लागू होंगे तथा उक्त उपबंधों के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति लोक अभियोजक माने जाएंगे।
- (3) विशेष न्यायालय, उसके द्वारा किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध ठहराए जाने पर, उसे उस अपराध, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध ठहराया गया हो, के लिए विधि द्वारा जो भी दंड प्राधिकृत हो उसका दण्डादेश पारित कर सकेगा।

9. विशेष न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील -

- (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दण्डादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में, तथ्यों एवं विधि दोनों आधार पर अपील की जायगी।

- (2) यथा उपर्युक्त के सिवाय, विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दण्डादेश या आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील अथवा पुनरीक्षण संस्थित नहीं होगा।
- (3) इस धारा के अधीन हरेक अपील विशेष न्यायालय के निर्णय और दण्डादेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर की जाएगी परन्तु, उच्च न्यायालय उक्त तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उसका समाधान हो जाता हो कि अपीलार्थी को निर्धारित अवधि के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था।
10. **मामलों का अन्तरण** - इस अध्यादेश के अन्य उपबंधों के होते हुए भी, उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची, मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में अन्तरित कर सकेगा।
11. **किसी विचारण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय का आबद्ध नहीं होना -**
- (1) विशेष न्यायालय किसी विचारण को किसी प्रयोजन से तबतक स्थगित नहीं करेगा जबतक कि, उसकी राय में तथा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, न्याय के हित में ऐसा स्थगन आवश्यक न हो।
- (2) विशेष न्यायालय मामले के विचारण को, यथास्थिति, इसके संस्थित किए जाने अथवा अंतरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा।
12. **अपने पूर्ववर्ती द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर पीठासीन न्यायाधीश कार्रवाई कर सकेगा**- विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए धारा-3 के अधीन नियुक्त कोई न्यायाधीश अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा अथवा अपने पूर्ववर्ती या पूर्ववर्तियों द्वारा आंशिक रूप से तथा आंशिक रूप से अपने द्वारा अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा।

अध्याय 3

संपत्ति का अधिहरण

13. अधिहरण के लिए आवेदन -

- (1) जहाँ प्रथम द्रष्टया साक्ष्य के आधार पर राज्य सरकार को विश्वास करने का कारण हो कि लोक (सार्वजनिक) पद धारण कर चुके या धारण कर रहे किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वह लोक सेवक हो या रहा हो, तो विशेष न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया हो या ना लिया हो, राज्य सरकार इस अध्यादेश के अधीन लोक अभियोजक को प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष उस धन और अन्य संपत्ति, जो राज्य सरकार के विश्वास में उक्त व्यक्ति द्वारा अपराध के जरिए उपाप्त किया गया हो, के अधिहरण हेतु आवेदन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन -

- (क) एक या अधिक शपथ-पत्रों के साथ होगा, जिसमें उन आधारों का उल्लेख होगा जिन पर यह विश्वास किया गया हो कि उक्त व्यक्ति ने अपराध किया है तथा उस धन की रकम और अन्य संपत्ति का मूल्य, जिसके लिए यह विश्वास किया गया हो कि अपराध के माध्यम से उपाप्त किया गया है, और
- (ख) ऐसे किसी धन एवं अन्य संपत्ति की तत्समय अवस्थिति के संबंध में उपलब्ध कोई सूचना भी अन्तर्विष्ट होगी तथा यदि आवश्यक हो तो, इस संदर्भ में सुसंगत समझी जाने वाली अन्य विशिष्टियां भी दी जाएंगी।

14. अधिहरण के लिए नोटिस -

- (1) इस अध्यादेश की धारा-13 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर, प्राधिकृत पदाधिकारी नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट समय, जो सामान्यतः तीस दिनों से कम की नहीं होगी, के अन्तर्गत आकर अपनी आय, उपार्जन या आस्तियों का वह स्रोत, जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से उसने ऐसा धन या संपत्ति अर्जित की है, जिस साक्ष्य पर वह निर्भर करता है तथा अन्य सुसंगत सूचना और विशिष्टियाँ देने और यह कारण बताने का कि क्यों नहीं ऐसा सारा या कोई धन या संपत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किया जाना घोषित किया जाय, तथा क्यों नहीं उन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिहृत कर लिया जाय से संबंधित नोटिस उस व्यक्ति (इसमें इसके बाद प्रभावित व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट) को तामिल करेगा जिसके संबंध में आवेदन किया गया हो।
- (2) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई नोटिस में किसी धन या संपत्ति या दोनों को ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारण किये जाने का विनिर्देश हो वहाँ नोटिस की प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी तामिल की जायगी।
- (3) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रभावित व्यक्ति या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अभिलिखित कराये गये साक्ष्य, सूचना और विशिष्टियाँ विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण में खण्डन किये जाने योग्य होगा;

परन्तु, ऐसा खण्डन इस अध्यादेश के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी के दोष के अवधारण और न्याय निर्णयन के विचारण तक सीमित होगा।

15. कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिहरण -

- (1) धारा-14 के अधीन जारी कारण पृच्छा नोटिस के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तथा उसके समक्ष उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद और प्रभावित व्यक्ति (तथा यदि प्रभावी व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट कोई धन या सम्पत्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारण करता हो तो ऐसा अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद, प्राधिकृत पदाधिकारी, आदेश द्वारा, अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या प्रश्नगत सभी या कोई अन्य धन या सम्पत्ति विधि विरुद्ध ढंग से अर्जित की गई है।

- (2) जहाँ प्राधिकृत पदाधिकारी यह विनिर्दिष्ट करता हो कि कारण-पृच्छा नोटिस में निर्दिष्ट धन या सम्पत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं, किन्तु ऐसे धन या सम्पत्ति को विनिर्दिष्टतः चिह्नित करने में समर्थ न होता हो वहाँ प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा यह विनिर्दिष्ट करना विधिपूर्ण होगा कि, उसकी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार, वह धन या सम्पत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं और उप-धारा (1) के अधीन तदनुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।
- (3) जहाँ, प्राधिकृत पदाधिकारी इस धारा के अधीन इस आशय का निष्कर्ष अभिलिखित करता हो कि कोई धन या सम्पत्ति या दोनों अपराध के माध्यम से अर्जित किया गया है वहाँ वह घोषित करेगा कि ऐसा धन या सम्पत्ति या दोनों, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, सभी ऋणभार से मुक्त राज्य सरकार को अधिहृत माने जायेंगे,
- (4) जहाँ इस अध्यादेश के अधीन, किसी कम्पनी का कोई शेयर राज्य सरकार को अधिहृत किया जाता हो वहाँ, कम्पनी अधिनियम, 2013 ; (2013 का 18) में अथवा कम्पनी के संगम अनुच्छेदों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, कम्पनी तुरत ऐसे शेयर का अंतरिती के रूप में राज्य सरकार को रजिस्टर में दर्ज करेगी ।
- (5) इस अध्याय के अधीन धन या संपत्ति या दोनों का अधिहरण (जब्ती) की हरेक कार्यवाही का निष्पादन धारा-14 की उप-धारा (1) के अधीन नोटिस तामिल किये जाने की तारीख से छह माह की अवधि के अन्तर्गत कर दिया जायगा ।
- (6) इस धारा के अधीन पारित अधिहरण का आदेश, धारा-17 के अधीन अपील, यदि कोई हो, में पारित आदेश के अध्यधीन, अंतिम होगा और किसी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायगा ।
- 16. अन्तरण का अकृत और शून्य होना** - जहाँ, धारा-14 के अधीन, नोटिस जारी किये जाने के बाद, उक्त नोटिस में निर्दिष्ट किसी धन या संपत्ति या दोनों का किसी भी तरीके से अन्तरण किया जाता हो, वहाँ ऐसा अन्तरण, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ, शून्य होगा और यदि ऐसा धन या संपत्ति या दोनों धारा-15 के अधीन बाद में राज्य सरकार को अधिहृत किया जाता हो तो ऐसा धन या संपत्ति या दोनों का अन्तरण अकृत और शून्य माना जायगा ।
- 17. अपील -**
- (1) इस अध्याय के अधीन प्राधिकृत पदाधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा जिसके विरुद्ध अपील किया जाना हो।
- (2) इस धारा के अधीन कोई अपील किए जाने पर उच्च न्यायालय ऐसे पक्षकारों को, जो वह उचित समझे, सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यथोचित आदेश पारित कर सकेगा।

- (3) उप-धारा (1) के अधीन की गई कोई अपील किए जाने की तारीख से अधिमानतः छह माह की अवधि के भीतर निष्पादित कर दी जाएगी और यदि किसी अपील में कोई स्थगन आदेश पारित किया जाता हो तो अपील के निष्पादन की विहित अवधि के बाद वह लागू नहीं रह जाएगी ।

18. कब्जा में लेने की शक्ति -

- (1) जहाँ इस अध्यादेश के अधीन, कोई धन या सम्पत्ति या दोनों राज्य सरकार को अधिहृत किया गया हो वहाँ सम्बद्ध प्राधिकृत पदाधिकारी प्रभावित व्यक्ति के साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके कब्जे में धन या सम्पत्ति या दोनों हो, आदेश देगा कि वह आदेश तामील किये जाने के तीस दिनों के भीतर उसे संबद्ध प्राधिकृत पदाधिकारी को या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अभ्यर्पित कर दे अथवा उसका कब्जा दे दे परन्तु, इस निमित्त आवेदन किए जाने पर तथा अपना समाधान कर लेने पर कि प्रभावित व्यक्ति प्रश्नगत सम्पत्ति में निवास कर रहा है, प्राधिकृत पदाधिकारी उसे उससे तत्काल बेकब्जा करने के बदले ऐसे व्यक्ति को विनिर्दिष्ट सीमित अवधि के लिए राज्य सरकार को बाजार दर पर किराया का भुगतान कर उसका कब्जा रखने की अनुमति दे सकेगा और उसके बाद वह व्यक्ति उस सम्पत्ति का कब्जा सौंप देगा ।
- (2) यदि कोई व्यक्ति, उप-धारा-(1) के अधीन किए गए आदेश का पालन करना अस्वीकार करता हो या पालन करने में विफल रहता हो तो प्राधिकृत पदाधिकारी उस सम्पत्ति को कब्जा में ले सकेगा और तत् प्रयोजनार्थ, यथावश्यक बल का प्रयोग कर सकेगा ।
- (3) उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत पदाधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी धन या सम्पत्ति या दोनों का कब्जा लेने के प्रयोजन से, सहायता के लिए किसी पुलिस पदाधिकारी की सेवा की अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करना उस पदाधिकारी का आबद्धकारी कर्तव्य होगा ।

19. अधिहृत (जब्त) धन और संपत्ति की वापसी -

जहाँ, धारा-15 के अधीन किए गये अधिहरण आदेश को अपील में उच्च न्यायालय द्वारा उपान्तरित या निष्प्रभावी कर दिया जाता हो या जहाँ प्रभावित व्यक्ति विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता हो, वहाँ धन या सम्पत्ति या दोनों प्रभावित व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा और यदि किसी कारण से सम्पत्ति वापस करना संभव न हो तो उस व्यक्ति को इस प्रकार अधिहृत, सम्पत्ति की कीमत के साथ-साथ अधिहरण की तारीख से पांच प्रतिशत की दर से परिगणित ब्याज सहित धन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।

अध्याय - 4

प्रकीर्ण

20. **विवरण में गलती के लिए नोटिस या आदेश का अविधिमान्य नहीं होना** - इस अध्यादेश के अधीन जारी या तामिल कोई नोटिस, की गई कोई घोषणा और पारित कोई आदेश, उसमें उल्लिखित सम्पत्ति या व्यक्ति के विवरण में किसी गलती के कारण अविधिमान्य नहीं माना जाएगा, यदि यथा उल्लिखित विवरण से ऐसी सम्पत्ति या व्यक्ति की पहचान करने योग्य हो।
21. **अध्यादेश का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना** - इस अध्यादेश के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसका अल्पीकरण करने वाला और इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी लोकसेवक को ऐसी किसी कार्यवाही से, जो उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अलावा संस्थित की जा सकती हो, विवर्जित नहीं करेगी।
22. **अन्य कार्यवाहियों का वर्जन** - धारा-9 और 17 में यथा उपबंधित के सिवाय तथा किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा-15 के अधीन किसी धन या सम्पत्ति या दोनों को अधिहृत (जब्त) किए जाने के आदेश की बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद या विधिक कार्यवाही चलाने योग्य नहीं होगी।
23. **सद्भावपूर्व की गई कार्रवाई से संरक्षा** - इस अध्यादेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या कोई अभियोजन या कोई विधिक कार्यवाही नहीं होंगी।
24. **नियम बनाने की शक्ति** - राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, यथावश्यक नियमावली, यदि कोई हो, बना सकेगी।
25. **धारा-3 के अधीन अधिसूचनाओं को तथा धारा-5 के अधीन घोषणाओं को पटल पर रखना** - धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना तथा धारा-5 की उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा, जारी किए जाने या बनाये जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायेगी।
26. **अध्यारोही प्रभाव** - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1944 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी असंगतता की स्थिति में इस अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
बी0 बी0 मंगलमूर्ति,
 प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी,
 विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

अधिसूचना

22 जनवरी 2016

संख्या-एल०जी०-10/2015-04/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक- 20 जनवरी, 2016 को अनुमत झारखंड विशेष न्यायालय अध्यादेश, 2015 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE JHARKHAND SPECIAL COURTS ORDINANCE, 2015

(Jharkhand Ordinance -01,2016)

Preamble-To provide for the constitution of special courts for the speedy trial of certain class of offences and for confiscation of the properties involved.

WHEREAS corruption is perceived to be amongst the persons holding public offices and public servants within the meaning of Section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 in the State of Jharkhand;

AND WHEREAS, the Government has sufficient reasons to believe that large number of persons, who have held or are holding public offices and are public servants within the meaning of Section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 have accumulated vast property, disproportionate to their known sources of income by resorting to corrupt means; His Excellency is satisfied that circumstances exist for taking immediate Action in this regard.

AND WHEREAS, it is obligation of the State to prosecute persons involved in such corrupt practices and confiscate their ill gotten assets.

AND WHEREAS, the existing courts of Special Judges cannot reasonably be expected to bring the trials, arising out of those prosecutions, to a speedy termination and it is imperative for the efficient functioning of a parliamentary democracy and the institutions created by or under the Constitution of India that the aforesaid offenders should be tried with utmost dispatch;

AND WHEREAS, it is necessary for the said purpose to establish Special Courts to be presided over by the persons who are or have been Sessions Judges/Additional Sessions Judges and it is also expedient to make some procedural changes whereby avoidable delay in the final determination of the guilt or innocence, of the persons to be tried, is eliminated without interfering with the right to a fair trial.

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by article 213 of the constitution of India, His Excellency the Governor of Jharkhand is pleased to make and promulgate this ordinance. It shall be laid before the Legislative Assembly of the State of Jharkhand, or else it shall cease to operate at the expiration of six weeks from the reassembly of the legislature or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the legislative

Assembly or if before the expiration of that period a resolution disapproving it is passed by the legislative Assembly, it may be withdrawn at any time by the Governor.

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title extent and Commencement.—

- (1) This ordinance shall be called the Jharkhand Special Courts Ordinance, 2015.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force at once.

2. Definitions.—In this Ordinance, unless the context otherwise requires:-

- (a) 'Act' means Prevention of Corruption Act, 1988.
- (b) "authorized officer" means any serving officer belonging to Jharkhand Superior Judicial Service and who is or has been Sessions Judge/Additional Sessions Judge, nominated by the State Government with the concurrence of the High Court for the purpose of section 13;
- (c) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973; (2 of 1974)
- (d) "Declaration" in relation to an offence, means a declaration made under section-5 in respect of such offence;
- (e) "Offence" means an offence of criminal misconduct which attracts application of Section-13(1)(e) of the Act (49 of 1988) either independently or in combination with any other provision of the Act (49 of 1988) or any of the provision of Indian Penal code (1860).
- (f) "Special Court" means a Special Court established under section 3; and
- (g) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Code or the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Code or the Act.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT OF SPECIAL COURTS

3. Establishment of Special Courts- (1) The State Government shall, for the purpose of speedy trial of offence, by notification, establish as many Courts as considered adequate to be called Special Courts.

(2) A Special Court shall be presided over by a Judge to be nominated by the State Government with the concurrence of the Jharkhand High Court.

(3) No person shall be qualified for nomination as a Judge of a Special Court unless he is a member of Jharkhand Superior Judicial Service and is or has been a Sessions Judge/Additional Sessions Judge in the State.

4. Cognizance of cases by Special Courts.—A Special Court shall take cognizance of and try such cases as are instituted before it or transferred to it under section 10.

5. Declaration of cases to be dealt with under this Ordinance.—

(1) If the State Government is of the opinion that there is prima-facie evidence of the commission of an offence alleged to have been committed by a person, who has held or is holding public office and is or has been public servant within the meaning of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 in the State of Jharkhand, the State Government shall make a declaration to that effect in every case in which it is of the aforesaid opinion.

(2) Such declaration shall not be called in question in any Court.

6. Effect of declaration.—(1) On such declaration being made, notwithstanding anything in the Code or any other law for the time being in force, any prosecution in respect of the offence shall be instituted only in a Special Court.

(2) Where any declaration made under section-5 relates to an offence in respect of which a prosecution has already been instituted and the proceedings in relation there to are pending in a Court other than Special Court under this Ordinance, such proceedings shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, stand transferred to Special Court for trial of the offence in accordance with this Ordinance.

7. Jurisdiction of Special Court as to Trial of Offences.— A Special Court shall have jurisdiction to try any person alleged to have committed the offence in respect of which a declaration has been made under section 5, either as principal, conspirator or abettor and all of them can be jointly tried there with at one trial in accordance with the Code.

8. Procedure And powers of Special Courts.—

(1) A Special Court shall, in the trial of such cases, follow the procedure prescribed by the Code for the trial of warrant cases before a Magistrate.

(2) Save as expressly provided in this Ordinance, the provisions of the Code and of the Prevention of Corruption Act, 1988(49 of 1988) shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Ordinance, apply to the proceedings before a Special Court and for the purpose of the said provisions, the persons conducting a prosecution before a Special Court shall be deemed to be a Public Prosecutor.

(3) A Special Court may pass, upon any person convicted by it, any sentence authorized by law for the punishment of the offence of which such person is convicted.

9. Appeal against orders of Special Courts.—

(1) Notwithstanding anything in the Code, an appeal shall lie from any judgment and sentence of a Special Court to the High Court of Jharkhand both on facts and law.

(2) Except as aforesaid, no appeal or revision shall lie in any court from any judgment, sentence or order of a Special Court.

- (3) Every appeal under this section shall be preferred within a period of thirty days from the date of judgment and sentence of a Special Court.

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days if it is satisfied for reasons to be recorded in writing that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the period.

10. **Transfer of Cases.**—Notwithstanding the other provisions of this Ordinance, it would be open to the High Court of Jharkhand to transfer cases from one Special Court to another.

11. **Special Court not bound to Adjourn a Trial.**—

(1) A Special Court shall not adjourn any trial for any purpose unless such adjournment is, in its opinion, necessary in the interests of justice and for reasons to be recorded in writing.

(2) The Special Court shall endeavour to dispose of the trial of the case within a period of one year from the date of its institutions or transfer, as the case may be.

12. **Presiding Judge may act on evidence recorded by his Predecessor.**—A Judge appointed under section 3 to preside over a Special Court may act on the evidence recorded by his predecessor or predecessors or partly recorded by his predecessor or predecessors and partly recorded by himself.

CHAPTER III

CONFISCATION OF PROPERTY

13. **Confiscation of property.**— (1) Where the State Government, on the basis of prima-facie evidence, have reasons to believe that any person, who has held or is holding public office and is or has been a public servant, has committed the offence, the State Government may, whether or not the Special Court has taken cognizance of the offence, authorize the Public Prosecutor for making an application to the authorized officer for confiscation under this Ordinance of the money and other property, which the State Government believe the said person to have procured by means of the offence.

(2) An application under sub-section (1)—(a) shall be accompanied by one or more affidavits, stating the grounds on which the belief, that the said person has committed the offence, is founded and the amount of money and estimated value of other property believed to have been procured by means of the offence; and

(b) Shall also contain any information available as to the location for the time being of any such money and other property, and shall, if necessary, give other particulars considered relevant to the context.

14. **Notice for Confiscation.**— (1) Upon receipt of an application made under section 13 of this Ordinance, the authorized officer shall serve a notice upon the person in respect of whom the application is made (hereafter referred to as the person affected) calling upon him within such time as may be specified in the notice, which shall not be ordinarily less than thirty days, to indicate the source of his income, earnings or assets, out of which or by means of which he has acquired such money or property, the evidence on which he relies and other relevant information and particulars, and to show cause as to why all or any of such money or property or both,

should not be declared to have been acquired by means of the offence and be confiscated to the State Government .

(2) Where a notice under sub-section (1) to any person specifies any money or property or both as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the evidence, information and particulars brought on record before the authorized officer, by the person affected or the State Government shall be open to be rebutted in the trial before the special court provided that such rebuttal shall be confined to the trial for determination and adjudication of guilt of the offender by the special court under this Ordinance.

15. **Confiscation of property in certain cases.**— (1) The authorized officer may, after considering the explanation, if any, to the show cause notice issued under section 14 and the materials available before it, and after giving to the person affected (and in case where the person affected holds any money or property specified in the notice through any other person, to such other person also) a reasonable opportunity of being heard, by order, record a finding whether all or any other money or properties in question have been acquired illegally.

(2) Where the authorized officer specifies that some of the money or property or both referred to in the show cause notice are acquired by means of the offence, but is not able to identify specifically such money or property, then it shall be lawful for the authorized officer to specify the money or property or both which, to the best of his judgment, have been acquired by means of the offence and record a finding, accordingly, under sub-section (1).

(3) Where the authorized officer records a finding under this section to the effect that any money or property or both have been acquired by means of the offence, he shall declare that such money or property or both shall, subject to the provisions of this Ordinance, stand confiscated to the State Government free from all encumbrances:

(4) Where any share in a Company stands confiscated to the State Government under this Ordinance, then, the Company shall, notwithstanding anything contained in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Articles of Association of the Company, forthwith register the State Government as the transferee of such share.

(5) Every proceeding for confiscation of money or property or both under this Chapter shall be disposed of within a period of six months from the date of service of the notice under sub-section(1) of section-14.

(6) The order of confiscation passed under this section shall, subject to the order passed in appeal, if any, under section 17, be final and shall not be called in question in any Court of law.

16. **Transfer To be null And void.**—Where, after the issue of a notice under section 14, any money or property or both referred to in the said notice are transferred by any mode whatsoever, such transfer shall, for the purposes of the proceedings under this Ordinance, be void and if such money or property or both are subsequently confiscated to the State Government under section 15, then, the transfer of such money or property or

both shall be deemed to be null and void.

(5)

17. **Appeal.**— (1) Any person aggrieved by any order of the authorized officer under this Chapter may appeal to the High Court within thirty days from the date on which the order appealed against was passed.

(2) Upon any appeal preferred under this section the High Court may, after giving such parties, as it thinks proper, an opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit.

(3) An appeal preferred under sub-section (1) shall be disposed of preferably within a period of six months from the date it is preferred, and stay order, if any, passed in an appeal shall not remain in force beyond the prescribed period of disposal of appeal.

18. **Power to take possession.**— (1) Where any money or property or both have been confiscated to the State Government under this Ordinance, the concerned authorized officer shall order the person affected, as well as any other person, who may be in possession of the money or property or both to surrender or deliver possession thereof to the concerned authorized officer or to any person duly authorized by him in this behalf, within thirty days of the service of the order:

Provided that the authorized officer, on an application made in that behalf and being satisfied that the person affected is residing in the property in question, may instead of dispossessing him immediately from the same, permit such person to occupy it for a limited period to be specified on payment of market rent to the State Government and thereafter, such person shall deliver the vacant possession of the property.

(2) If any person refuses or fails to comply with an order made under sub-section (1), the authorized officer may take possession of the property and may, for that purpose, use such force as may be necessary.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section(2) the authorized officer may, for the purpose of taking possession of any money or property or both referred to in sub-section(1), requisition the service of any police officer to assist and it shall be the bounden duty of such officer to comply with such requisition.

19. **Refund of Confiscated money or property.**—Where an order of confiscation made under section 15 is modified or annulled by the High Court in appeal or where the person affected is acquitted by the Special Court, the money or property or both shall be returned to the person affected and in case it is not possible for any reason to return the property, such person shall be paid the price thereof including the money so confiscated with the interest at the rate of five percent per annum thereon calculated from the date of confiscation.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

20. **Notice or Order not to be invalid for error in description.**— No notice issued or served, no declaration made and no order passed, under this Ordinance shall be deemed to be invalid by reason of any error in the description of the property or person mentioned therein, if such property or person is identifiable from the description so mentioned.
21. **Ordinance to be in addition to any other law.**—The provisions of this Ordinance shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force, and nothing contained herein shall exempt any public servant from any proceeding which might, apart from this Ordinance, be instituted against him.
22. **Bar to other Proceedings.**—Save as provided in sections 9 and 17 and notwithstanding anything contained in any other law, no suit or other legal proceedings shall be maintainable in any Court in respect of any money or property or both ordered to be confiscated under section 15.
23. **Protection of action taken in good faith.**— No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Ordinance.
24. **Power to Make rules.**—The State Government may, by notification, make such rules, if any, as it may deem necessary for carrying out the purposes of this Ordinance.
25. **Notifications under section 3 and declarations under section 5 to be laid.**—Every notification made under sub-section (1) of section 3 and every declaration made under sub-section(1) of section 5 shall be laid, as soon as may be, after they are made, before the State Legislature.
26. **Overriding effect.**—Notwithstanding anything in the Prevention of Corruption Act, 1988 and the Criminal Law Amendment Ordinance, 1944 or any other law for the time being in force, the provisions of this Ordinance shall prevail in case of any inconsistency.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

बी० बी० मंगलमूर्ति,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 139—50 ।